

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1211/E.File-107/2025/

दिनांक: ई साईन

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,

सामान्य वन मण्डल, उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बावत्।
(FP/MP/RAIL/150074/2021)

संदर्भ- भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ दिनांक 13.10.2025

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी आवेदक संस्थान से संबंधित है उनसे प्राप्त करें एवं आप से संबंधित है तैयार कर अपने अभिमत के साथ भिजवायें। ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 04-11-2025
19:06:35

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

- (1) मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), बैतूल एवं नर्मदापुरम(होशंगाबाद) वृत्त मध्यप्रदेश।
 - (2) वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नर्मदापुरम(होशंगाबाद), मध्यप्रदेश।
 - (3) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/

दिनांक : As per e-signed.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

(मध्यप्रदेश)।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021).

संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ दिनांक 08/07/2025.

2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1211/E file-0107/2025 दिनांक 05/09/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त प्रकरण पर किसी भी तरह से एकमत की स्थिति नहीं बन पा रही है। रेलवे विभाग द्वारा जिस क्षेत्र को अपने स्वामित्व का बताकर diversion में शामिल नहीं किया गया है, उस क्षेत्र के स्वामित्व को लेकर ना ही रेलवे विभाग द्वारा कोई सटीक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और वन विभाग का कहना है कि वह क्षेत्र वन अभिलेखों में रेल्वे के स्वामित्व का क्षेत्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त वन मण्डलाधिकारी उत्तर बैतूल द्वारा FCA, १९८० के violation पर विस्तृत action taken report भी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है।

Digitally signed by
Rajesh Dashrath Darade
Date: 13-10-2025
12:12:51

(राजेश दराडे)

सहा. वनमहानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।